



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, phone: 0612-2675933, 2675935, Fax no-2675934

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में अतिआवश्यक आकस्मिक कार्य कराने के लिए चतुर्थ श्रेणी के इच्छुक संवेदकों के सूचीबद्धता हेतु अल्पकालीन आमंत्रण सूचना सं०— 08/Notice/IDA/21

एतद द्वारा संबंधित संवेदकों को सूचित किया जाता है कि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुरक्षण/मरम्मत शीर्ष के अंतर्गत आपातकालीन/अत्यावश्यक स्थिति में भवन संबंधी कार्यों के लिए नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन एवं कार्य करने हेतु बिहार राज्य में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के संवेदकों को विहित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार चयन/सूचीबद्धता हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव विहित प्रपत्र में स्पष्ट एवं पठनीय (कम्प्यूटराइज) रूप से भरकर वांछित कागजातों एवं आवश्यक अग्रधन की राशि रु0 5000.00 (पाँच हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में Infrastructure Development Authority, Patna के नाम से भुगतान हो जो लौटाया नहीं जाएगा के साथ दिनांक 05.05.2021 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राधिकार कार्यालय में समर्पित करना होगा। केवल वैसे ही संवेदक प्रस्ताव दे सकेंगे, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 15 लाख तक का कार्य किया हो।

प्रस्ताव हेतु विहित प्रपत्र/प्रारूप कार्यपालक अभियंता, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना कार्यालय के पी0डी0ए0 शाखा से प्रत्येक कार्य अवधि में दिनांक 19.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक प्राप्त कर सकते हैं। विहित प्रपत्र दो खंडों में होगा। प्रपत्र 'क' एवं प्रपत्र 'ख'। प्रपत्र-क में आवेदक का बायोडाटा एवं वांछित प्रमाण पत्र, प्रपत्र 'ख' में आवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-2021) में किसी एक वित्तीय वर्ष में अनुरक्षण/मरम्मत अंतर्गत किये गये कार्यों का विवरण हो। यह विवरणी कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है, अन्यथा इसे अमान्य कर दिया जायगा। प्रपत्र 'क' एवं 'ख' को एक बड़े आकार के लिफाफे में सीलबंद कर तथा उसके उपर अपना नाम एवं वर्तमान पता अंकित कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के कार्यालय में उपरोक्त वर्णित तिथि को समर्पित करना होगा, साथ ही संवेदक को वैध चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हो, की प्रति अभिप्रमाणित कर जमा/संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संवेदकों की सूचीबद्धता केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय दिशा निर्देश/शर्त के आधार पर किया जायेगा। उक्त दिशा निर्देश/शर्त के संबंध में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के कार्यालय से विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

बिना कोई कारण बताये सूचीबद्धता हेतु अल्पकालीन आमंत्रण सूचना रद्द करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को होगा।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि : 1. जनसंपर्क पदाधिकारी को दैनिक समाचार एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)